



फर्द अहकाम

२१/११/१९

बनाम ६१०१९

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	६-६-२५	<p>पत्रावली पेश हुई। शयिवन्ता प्रार्थी आवृत्त। अज्ञापीठ के तामील सम्मत गग विवीवरी स्टेटमेंट पेश। २१.११.२५। तामील पूर्ण। अज्ञापीठ को उपस्थित हेतु अवसर दिया जानकर पत्रावली दिनांक १७/११/२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>
	१७-११-२५	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके शयिवन्ता (अनु०) प्रार्थी को साप-भाषांतर से प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार सावापे लगवायी गयी। सावपुत्र सावापे लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-१ नियम-३ प्रा. ३ के तहत भयम हासरी व भयम पेशनी में खारिज की गयी। पत्रावली कैलस शुमार होकर नकर ले नम होकर दाखिल रजतर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>